

फर्द अहकाम

सुसिंहदेव

बनाम

राजबनसहाय चौधरी

नाम न्यायालय

ACM चौधरी

केस संख्या

53/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27/3/24	<p>व.प्र.उप. प्रतिवादी से 1/5 कि.मी. की दूरी से करणी मंचाय सिंह-कमल के पास पेश किया। जो शांति है। वादी व सहवादीजन के कुर्छात रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त डिट्टी हेतु सत्यता की परामर्श व कुर्छात रिपोर्ट के अमलोक किया गया। कुलविक्र कुर्छात रिपोर्ट अतिरिक्त डिट्टी किया जाता है। विस्तृत लिखित सूत्र से लिखवाया जा रहा शांति किया गया। अतिरिक्त डिट्टी पेश की परामर्श केवल सुभार होकर राजनपुर से भरा है। दायित्व इतर है।</p> <p style="text-align: center;">A.</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर चौधरी (जयपुर)</p>	<p>प्रति 1/1 लमपन 1/5 लं 2 लं 3 की लपु के कुर्छात इ कठम लपुला में डिट्टी कापती नहीं है।</p> <p style="text-align: center;"><u>Chingha</u> 27/3/24</p>



मु0सं0-53/2023

उनवान-नृसिंहदेव बनाम भगवानसहाय वगै0

निर्णय दिनांक:-27.03.2024

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं जयपुर
पीठासीन अधिकारी :-प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

उनवान

नृसिंहदेव पुत्र रुपाराम, उम्र 65 वर्ष, जाति बागड़ा ब्राह्मण, निवासी ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादी-

बनाम

1. भगवानसहाय पुत्र गंगाराम (मृतक दौराने दावा)
 - 1/1. श्रीमती लाडा देवी पत्नी स्व0 भगवान सहाय
 - 1/2. रामवतार शर्मा पुत्र स्व0 भगवान सहाय
 - 1/3. सुरेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 भगवान सहाय
- समस्त जाति बागड़ा ब्राह्मण, निवासी ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
- 1/4. श्रीमती सीता देवी पुत्री स्व0 भगवान सहाय पत्नी रामनिवास शर्मा
- 1/5. श्रीमती मंजू देवी पुत्री स्व0 भगवान सहाय पत्नी रामदयाल शर्मा
- समस्त जाति बागड़ा ब्राह्मण, निवासी ग्राम आलीसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. रामगोपाल पुत्र गंगाराम, उम्र 50 वर्ष
3. बाबूलाल पुत्र गंगाराम, उम्र 55 वर्ष
- समस्त जाति बागड़ा ब्राह्मण, निवासी ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल एसबीआई बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. दि सेन्द्रल कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक:-27.03.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण को सुना गया। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री के अनुसार आए कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांकित 24.01.2024 पर सहमति जताते हुए

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

वादपत्र को अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली में सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वादपत्र तकासमा का है व खातेदारों का रिकॉर्ड व मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। अतः मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट दिनांक 24.01.2024 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम विमलपुरा, पटवार हल्का सान्दरसर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित खसरा नं0 136 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नं0 137 रकबा 2.31 हैक्टेयर, खसरा नं0 138 रकबा 1.79 हैक्टेयर, खसरा नं0 172/1 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नं0 173/992 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नं0 174 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नं0 175 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नं0 176 रकबा 0.28 हैक्टेयर, कुल किता 8 का कुल रकबा 5.30 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है:-


1. नृसिंहदेव पुत्र रुपाराम, जाति बागड़ा ब्राह्मण सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 172/1 रकबा 0.60 है0, खसरा नं0 138 रकबा 1.79 है0, खसरा नं0 137/1 रकबा 0.20 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 2.59 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शायी गई है।
2. बाबूलाल पुत्र गंगाराम, जाति बागड़ा ब्राह्मण सा0 देह खातेदार रहन एस0बी0आई0 शाखा कालाडेरा के हिस्से में खसरा नम्बर 137/4 रकबा 0.80 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.80 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है।
3. लाडा देवी पत्नी स्व0 भगवानसहाय, रामावतार, सुरेश कुमार पुत्रान स्व0 भगवानसहाय, सीता देवी, मंजू देवी पुत्रियां स्व0 भगवानसहाय, जाति बागड़ा ब्राह्मण सा0 देह खातेदार रहन एस0बी0आई0 शाखा कालाडेरा के हिस्से में खसरा नम्बर 176 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 137/3 रकबा 0.49 है0, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.03 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 0.80 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है।
4. रामगोपाल पुत्र गंगाराम, जाति बागड़ा ब्राह्मण सा0 देह खातेदार रहन दि सेन्द्रल कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा गोविन्दगढ़ के हिस्से में खसरा नम्बर 136 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 137/5 रकबा 0.72 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.85 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शायी गई है।
5. नृसिंहदेव पुत्र रुपाराम हिस्सा 1/2, बाबूलाल पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/4 रहन एस0बी0आई0 शाखा कालाडेरा, लाडा देवी पत्नी स्व0 भगवानसहाय, रामावतार, सुरेश कुमार पुत्रान स्व0 भगवानसहाय, सीता देवी, मंजू देवी पुत्रियां स्व0 भगवानसहाय हिस्सा 1/4 रहन एस0बी0आई0 शाखा कालाडेरा, जाति बागड़ा ब्राह्मण सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 173/992 रकबा 0.12 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शायी गई है।
6. बाबूलाल पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/3, लाडा देवी पत्नी स्व0 भगवानसहाय, रामावतार, सुरेश कुमार पुत्रान स्व0 भगवानसहाय, सीता देवी, मंजू देवी पुत्रियां स्व0 भगवानसहाय

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

- हिस्सा 1/3, रामगोपाल पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/3 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 137/2 रकबा 0.10 है0 (रास्ता), कुल किता 1 का कुल रकबा 0.10 हैक्ट्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शायी गई है।
7. बाबूलाल पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/2, लाडा देवी पत्नी स्व0 भगवानसहाय, रामावतार, सुरेश कुमार पुत्रान स्व0 भगवानसहाय, सीता देवी, मंजू देवी पुत्रियां स्व0 भगवानसहाय हिस्सा 1/2, जाति बागड़ा ब्राह्मण सा0 देह खातेदार रहन एस0बी0आई0 शाखा कालाडेरा के हिस्से में खसरा नम्बर 175 रकबा 0.04 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.04 हैक्ट्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में काले रंग से दर्शायी गई है।

नोट:-भगवानसहाय पुत्र गंगाराम दौराने वाद फौत हो जाने पर कुर्रैजात में प्रस्तावित भगवानसहाय के हिस्से को भगवानसहाय के स्थान पर उसके विधिक वारिसान का नाम अंकित किया गया है।

अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा। निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कमिश्नर
चौमूँयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं जयपुर
पीठासीन अधिकारी :-प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

उनवानं

नृसिंहदेव पुत्र रुपाराम, उम्र 65 वर्ष, जाति बागड़ा ब्राह्मण, निवासी ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

-वादी-

बनाम

1. भगवानसहाय पुत्र गंगाराम (मृतक दौराने दावा)
 - 1/1. श्रीमती लाडा देवी पत्नी स्व0 भगवान सहाय
 - 1/2. रामवतार शर्मा पुत्र स्व0 भगवान सहाय
 - 1/3. सुरेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 भगवान सहायसमस्त जाति बागड़ा ब्राह्मण, निवासी ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
 - 1/4. श्रीमती सीता देवी पुत्री स्व0 भगवान सहाय पत्नी रामनिवास शर्मा
 - 1/5. श्रीमती मंजू देवी पुत्री स्व0 भगवान सहाय पत्नी रामदयाल शर्मासमस्त जाति बागड़ा ब्राह्मण, निवासी ग्राम आलीसर, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. रामगोपाल पुत्र गंगाराम, उम्र 50 वर्ष
3. बाबूलाल पुत्र गंगाराम, उम्र 55 वर्ष
समस्त जाति बागड़ा ब्राह्मण, निवासी ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
4. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर।
5. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल एसबीआई बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा कालाडेरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
6. दि सेन्ट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :-53/2023

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

ये मुकदमा आज वारते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी एवं प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियंका बड़गूजर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि-

विवादित भूमि वाके ग्राम विमलपुरा, पटवार हल्का सान्दरसर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित खसरा नं0 136 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नं0 137 रकबा 2.31 हैक्टेयर, खसरा नं0 138 रकबा 1.79 हैक्टेयर, खसरा नं0 172/1 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नं0 173/992 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नं0 174 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नं0 175 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नं0 176 रकबा 0.28 हैक्टेयर, कुल किता 8 का कुल रकबा 5.30 हैक्टेयर भूमि का मुताबिक कुरैजात रिपोर्ट दिनांक 24.01.2024 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है:-

1. नृसिंहदेव पुत्र रुपाराम, जाति बागड़ा ब्राह्मण सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 172/1 रकबा 0.60 है0, खसरा नं0 138 रकबा 1.79 है0, खसरा नं0 137/1 रकबा 0.20 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 2.59 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शायी गई है।
2. बाबूलाल पुत्र गंगाराम, जाति बागड़ा ब्राह्मण सा0 देह खातेदार रहन एस0बी0आई0 शाखा कालाडेरा के हिस्से में खसरा नम्बर 137/4 रकबा 0.80 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.80 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है।
3. लाडा देवी पत्नी स्व0 भगवानसहाय, रामावतार, सुरेश कुमार पुत्रान स्व0 भगवानसहाय, सीता देवी, मंजू देवी पुत्रियां स्व0 भगवानसहाय, जाति बागड़ा ब्राह्मण सा0 देह खातेदार रहन एस0बी0आई0 शाखा कालाडेरा के हिस्से में खसरा नम्बर 176 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 137/3 रकबा 0.49 है0, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.03 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 0.80 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है।
4. रामगोपाल पुत्र गंगाराम, जाति बागड़ा ब्राह्मण सा0 देह खातेदार रहन दि सेन्द्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा गोविन्दगढ़ के हिस्से में खसरा नम्बर 136 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 137/5 रकबा 0.72 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.85 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शायी गई है।
5. नृसिंहदेव पुत्र रुपाराम हिस्सा 1/2, बाबूलाल पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/4 रहन एस0बी0आई0 शाखा कालाडेरा, लाडा देवी पत्नी स्व0 भगवानसहाय, रामावतार, सुरेश कुमार पुत्रान स्व0 भगवानसहाय, सीता देवी, मंजू देवी पुत्रियां स्व0 भगवानसहाय हिस्सा 1/4 रहन एस0बी0आई0 शाखा कालाडेरा, जाति बागड़ा ब्राह्मण सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 173/992 रकबा 0.12 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में नींबू पीले रंग से दर्शायी गई है।
6. बाबूलाल पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/3, लाडा देवी पत्नी स्व0 भगवानसहाय, रामावतार, सुरेश कुमार पुत्रान स्व0 भगवानसहाय, सीता देवी, मंजू देवी पुत्रियां स्व0 भगवानसहाय हिस्सा 1/3, रामगोपाल पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/3 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 137/2 रकबा 0.10 है0 (रास्ता), कुल किता 1 का

सहायक किलक्टर
चौमूं (जयपुर)

कुल रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शायी गई है।

7. बाबूलाल पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/2, लाडा देवी पत्नी स्व0 भगवानसहाय, रामावतार, सुरेश कुमार पुत्रान स्व0 भगवानसहाय, सीता देवी, मंजू देवी पुत्रियां स्व0 भगवानसहाय हिस्सा 1/2, जाति बागड़ा ब्राह्मण सा0 देह खातेदार रहन एस0बी0आई0 शाखा कालाडेरा के हिस्से में खसरा नम्बर 175 रकबा 0.04 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में काले रंग से दर्शायी गई है।

नोट:-भगवानसहाय पुत्र गंगाराम दौराने वाद फौत हो जाने पर कुर्रैजात में प्रस्तावित भगवानसहाय के हिस्से को भगवानसहाय के स्थान पर उसके विधिक वारिसान का नाम अंकित किया गया है।

निजीमबलिक बाबतखर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 27.03.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत.....
ओहदायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	4	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	2	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	2
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय	
7.बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	6	जोड़	2

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)